पक्षकारान अधिवक्ता उप[illegible]
बहस हेतु समय चाहते है। अतः पत्रावली वास्ते
बहस दिनांक 24.12-18 को पेश हो

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

[illegible].12-18 अपीलार्थी व रेस्पो0 के अधि0 उपस्थित
उपस्थित अधिवक्तागण की बहस
सुनी गयी। बाद सुनवाई पत्रावली
वास्ते आदेश हेतु दिनांक 1.1.19 को
पेश हो

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

1.1.19

पत्रावली पेश हुई निर्णय सरे इजलास सुनाया गया तथा पृथक से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर पत्रावली के संलग्न किया गया। निर्णयानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि मे से त्रुटिवश बिलानाम दर्ज भूमि को पूनः अपीलान्ट के खातेदारी मे अंकित करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की सत्य प्रति के साथ पुनः लौटायी जावे।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर